समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-125, दिनांक-12.02.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-अनुग्राहिक राहत उपशीर्ष -0010 बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान-विपत्र कोड N-2245021010010 मद में मो0-20,00,000/- (बीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन ग्वालपाड़ा, मुरलीगंज, बिहारीगंज एवं पुरैनी अंचल में बज्रपात से हुये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
01	अचंल अधिकारी, सिंहेश्वर	300000	-	300000
02	अचंल अधिकारी, शंकरपुर	550000	-	550000
03	अचंल अधिकारी, गम्हरिया	400000	-	400000
04	अचंल अधिकारी, मुरलीगंज	-	800000	800000
05	अचंल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	400000	400000
06	अचंल अधिकारी, बिहारीगंज	-	400000	400000
07	अचंल अधिकारी, पुरैनी	800000	400000	1200000
08	अचंल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	550000	-	550000
	कुल-	**2600000**	**2000000**	**4600000**

(मो0-बीस लाख मात्र)।

उपावंटन की शर्तें :-

(1) यह आवंटन अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा, मुरलीगंज, बिहारीगंज एवं पुरैनी में बज्रपात से हुये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-851/आ0प्र0, दिनांक-26.12.2015 एवं पत्रांक-60/आ0प्र0, दिनांक-22.01.2016 द्वारा प्रेषित अधियाचना के आधार पर सरकार से प्राप्त आवंटन से निर्गत किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-अनुग्राहिक राहत उपशीर्ष -0010 बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान-विपत्र कोड N-2245021010010 मांग संख्या -39 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(5) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे।

(6) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रुप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(8) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2016 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(9) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15-03-2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : ....101....../ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 15-02-16

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा, मुरलीगंज, बिहारीगंज एवं पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल,. सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।